



क्रमांक 330/बै.प्र./सभा/2025

बिलासपुर, दिनांक : 13-01-2025

कार्यालयीय ज्ञाप

इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक 293/सभा/बै.प्र./2022 बिलासपुर दिनांक 11.05.2022 की निरंतरता में, केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियम 10(5) (संशोधित) के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय की सभा में निम्नानुसार सदस्यों का नामांकन किया जाता है :-

1. 10(5)(ii)(16) कुलाध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्टों को छोड़कर कार्यपरिषद् के ऐसे सदस्य, जो उपरोक्त किसी भी श्रेणी के अंतर्गत सभा के सदस्य नहीं है।

1. डॉ० अल्का एक्का, सहायक आचार्य, बायोटेक्नॉलाजी विभाग
के स्थान पर

डॉ० मधुलिका सिंह, सहायक आचार्य, वनस्पतिशास्त्र विभाग

इस श्रेणी के अंतर्गत उपरोक्त सदस्यों का कार्यकाल विश्वविद्यालय सभा के कार्यकाल अथवा पदेन पद जो भी पहले हो, के साथ समाप्त होगा।

आदेशानुसार


कुलसचिव (कार्यवाहक)

पृ० क्रमांक 331/बै.प्र./सभा/2025

बिलासपुर, दिनांक : 13-01-2025

प्रतिलिपि :-

01. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक की ओर कुलपति महोदय/कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
02. सभा के समस्त सम्माननीय सदस्यों की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. संबंधितों को सूचनार्थ प्रेषित।
04. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेब पटल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. कार्यालय प्रति।


कुलसचिव (कार्यवाहक)